राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS 3.0/AG DP Recovery/7209 दिनांक 05/03/26

परिपत्र

प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा IFMS की निष्पादन ऑडिट के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में पदस्थापित कार्मिकों को किए गये अनियमित भुगतान एवं GPF, SI, RGHS आदि की कम कटौती किए जाने का आक्षेप शामिल किया गया है तथा इसका ड्राफ्ट पैरा गठित किया गया है। इसी क्रम में IFMS 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा की जाँच/विश्लेषण किए जाने पर विभिन्न विभागों के कतिपय कार्मिकों को अनियमित मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता के भुगतान के प्रकरण ज्ञात होने पर निदेशालय के पत्रांक 4890 दिनांक 17.10.2025 के द्वारा उक्त अनियमित भुगतान की वसूली संबंधित कार्मिक से करवाये जाने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किए गये थे। कार्मिकों के मकान किराया भत्ता एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृति के संबंध में वित्त (नियम) विभाग द्वारा भी दिनांक 02.12.2025 को आदेश जारी किया गया है।

कतिपय कार्मिकों द्वारा वित्त (नियम) विभाग के उक्त आदेश दिनांक 02.12.2025 एवं निदेशालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.10.2025 के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण/माननीय न्यायालयों में वाद प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें संबंधित कोषाधिकारी को भी पक्षकार बनाया गया है।

अतः ड्राफ्ट पैरा में उल्लेखित राशि की वसूली करवाये जाने तथा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण/माननीय न्यायालयों में वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 02.12.2025 एवं निदेशालय के पत्रांक 17.10.2025 के विरूद्ध दायर वाद में संबंधित कोषाधिकारी/विभागों को निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :–

1. कार्मिकों को किए जा रहे समस्त प्रकार के भुगतानों हेतु संबंधित आहरण वितरण अधिकारी ही उत्तरदायी होता है। आईएफएमएस सिस्टम आहरण वितरण अधिकारियों को केवल भुगतान के बिल बनाये जाने एवं राशि आहरित किये जाने हेतु प्लेटफार्म प्रदान करता है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा निष्पादन ऑडिट में उल्लेखित अनियमित राशि के भुगतान की वसूली संबंधित कार्मिक से आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार विश्लेषण उपरान्त कोषाधिकारी को दावा प्रेषण/वसूली प्रेषित कर की जानी है।

2. महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी ड्राफ्ट पैरा में उल्लेखित अनियमित भुगतान के जिन प्रकरणों में नियमानुसार वसूली नहीं बनती है, उनमें संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के पत्र/सक्षम आदेश की प्रति कोषालयों को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है एवं केवल वसूली योग्य राशि की वसूली संबंधित कार्मिक से की जानी है। कोषाधिकारी द्वारा ऐसे प्रकरणों का परीक्षण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 02.12.2025 के संदर्भ में किया जाकर ही निष्कर्षमय औचित्यपूर्ण टिप्पणी निदेशालय को प्रेषित किया जाए।

3. इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण/माननीय न्यायालयों में प्रस्तुत वाद के संबंध में महालेखाकार कार्यालय द्वारा की गई निष्पादन ऑडिट के पश्चात गठित ड्राफ्ट पैरा, निदेशालय, कोष एवं लेखा के पत्र दिनांक 17.10.2025 एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.12.2025 के क्रम में संबंधित विभाग/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ही जवाब प्रस्तुत किया जाना है क्योंकि भुगतान दावा उनके स्तर से प्रेषित किया गया है। कोषाधिकारियों द्वारा इस संबंध में अपेक्षित सहयोग संबंधित विभाग को प्रदान किया जाए।

4. उपरोक्त के क्रम में समस्त विभाग अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा गठित ड्राफ्ट पैरा का यथासमय प्रत्युत्तर प्रेषित किया जा सके।

04/03/26

(राजन विशाल)
शासन सचिव वित्त (बजट)